दिनांक–22 मई, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

ग्रामीण विकास विभाग

1. दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर प्रखंड का मुख्यालय मोहीउद्दीनपुर पकड़ी ग्राम संबंधी अधिसूचना को निरस्त करते हुए पुनः अलीनगर में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव। — स्वीकृत।

गृह (आरक्षी)विभाग

2. मधुबनी जिला के झंझारपुर थाना अन्तर्गत ग्राम अररिया संग्राम में ओ०पी० की स्थापना एवं उसके संचालन हेतु कुल 7 (सात) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

कृषि विभाग

3. कृषि रोड मैप के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं जैविक खेती, भण्डारण, कृषि यांत्रिकरण, बागवानी विकास तथा प्रमाणित बीज के प्रोत्साहन संबंधी राज्य योजनाओं का वर्ष 2012–13 में 1366.70 करोड़ रूपये (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंश से 1156.63 करोड़ रूपये तथा राज्य योजना अंश से 210.07 करोड़ रूपये) की लागत पर एक सेल्फ ऑफ स्कीम की स्वीकृति, उक्त परियोजना लागत के अधीन वर्ष 2011–12 में हरी खाद (मूंग) की खेती पर व्यय की गयी 30.72 करोड़ रूपये जिसकी निकासी दिनांक–31.03.2012 को ट्रेजरी लिंक फेल होने के कारण नहीं हो सकी की निकासी/व्यय की स्वीकृति, परियोजना लागत के अधीन वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के समानुपातिक कृषि यंत्रों पर राज्यांश मद से स्वीकृत अतिरिक्त अनुदान मद में बजट उपबंध नहीं होने के कारण स्वीकृति के लिए अवशेष 8.36 करोड़ रूपये की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति, कृषि यंत्र, प्रमाणित बीज, बागवानी विकास, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं मिट्टी उपचार मदों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अतिरिक्त राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंश से वित्त पोषण के लिए स्वीकृत कार्यक्रम को भारत सरकार से पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने पर इसे जैविक खेती, भण्डारण, कृषि यांत्रिकरण, बागवानी विकास तथा प्रमाणित बीज के प्रोत्साहन संबंधी राज्य योजनाओं में उपलब्ध बजट उपबंध से वित्त पोषण करने की स्वीकृति, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली किस्तों की प्रत्याशा में इस योजना के लिए बजट में उपबंधित राशि की सीमा में व्यय करने तथा किस्त प्राप्त होने पर इसके समायोजन की स्वीकृति। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. पटना जिला के बिहटा अंचल अन्तर्गत मौजा–पैनाल, थाना संख्या–70, खाता संख्या–910 की खेसरा संख्या–5764, रकबा–0.12 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ संख्या–78 के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार को अन्तर्विभागीय निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

5. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत उत्तर कोयल मुख्य नहर के 0.00 कि॰मी॰ से 92.70 कि॰मी॰ तक एवं इससे निसृत वितरण प्रणाली के तल सफाई, बैंक सुदृढ़ीकरण एवं क्षतिग्रस्त संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्राक्कलित राशि रू० 6125.02 लाख (एकसठ करोड़ पचीस लाख दो हजार रू० मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति। — स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

6. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सोन नहर प्रणाली के पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर, पटना मुख्य नहर तथा आरा मुख्य नहर एवं इससे निःसृत वितरण प्रणाली के पुनर्स्थापन कार्य की प्राक्कलित राशि रू० 17046.00 लाख (एक अरब सत्तर करोड़ छियालिस लाख रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति। — स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

9. रब्बी विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए योजना प्राधिकृत समिति द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम को राज्य योजनान्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से 1000.00 करोड़ (एक हजार करोड़) रूपये उपलब्ध कराने की अनुशंसा के आलोक में तत्काल 200 करोड़ रूपये का ऋण 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. भागलपुर जिले के रंगराचौक अंचल के मौजा गोबिन्दपुर कौशली, थाना सं०–89, खाता संख्या–1907, खेसरा सं०–5743 रकवा–4.30 एकड़ (चार एकड़ तीस डि०) किस्म भीठ–II अनाबाद बिहार सरकार भूमि रंगरा चौक, प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. पटना जिला के बिहटा अंचल अन्तर्गत मौजा–पैनाल, थाना संख्या–70, खाता संख्या–1802 की खेसरा संख्या–5667, रकबा–0.16 एकड़ एवं खाता संख्या–1825 की खेसरा संख्या–5670, रकबा–0.32 एकड़ अर्थात् कुल रकबा–0.48 एकड़ बकाश्त मालिक सरकारी भूमि बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ संख्या–78 के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार को अन्तर्विभागीय निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

12. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मलई बराज योजना के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 5825.63 लाख (अंठावन करोड़ पच्चीस लाख तिरसठ हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति। — स्वीकृत।